दिनांक- 21.07.2026

-प्रेस नोट-

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक जनपद सहारनपुर उत्तर प्रदेश

थाना बडगाँव, सहारनपुर पुलिस द्वारा 01 वारण्टी अभियुक्त को किया गया गिरफ्तार

अवगत कराना है कि वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, सहारनपुर के निर्देशन में अपराध की रोकथाम एव वांछित/वारण्टी की गिरफ्तारी हेतु चलाये जा रहे अभियान के क्रम में पुलिस अधीक्षक ग्रामीण एवं क्षेत्राधिकारी देवबन्द के निकट पर्यवेक्षण एवं थाना प्रभारी श्री नरेन्द्र कुमार के कुशल नेतृत्व में आज दिनांक 21.07.2026 को थाना बडगांव पुलिस द्वारा ***01 वारण्टी अभियुक्त बबला पुत्र अमरनाथ निवासी ग्राम शिमलाना थाना बडगांव जनपद सहारनपुर*** *को सम्बन्धित वाद संख्या 1520/20, व मु0अ0सं0 188/2016 धारा 323/504/506 भादवि (मा0 न्यायालय सिविल जज (जू0डि0) देवबन्द सहारनपुर) में ग्राम शिमलाना से गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार अभियुक्त के विरूद्ध अन्य आवश्यक विधिक कार्यवाही करते हुए समय से मा0 न्यायालय के समक्ष पेश किया जा रहा है।*

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम पता

बबला पुत्र अमरनाथ निवासी ग्राम शिमलाना थाना बडगांव जनपद सहारनपुर

आपराधिक इतिहास

1. *मु0अ0सं0 188/2016 धारा 323/504/506 भादवि थाना बडगांव जनपद सहारनपुर।*
2. *मु0अ0सं0 324/2020 धारा 60(2) आबकारी अधिनियम थाना बडगांव जनपद सहारनपुर।*
3. *मु0अ0सं0 50/21 धारा 4/25 आर्म्स एक्ट थाना बडगांव जनपद सहारनपुर।*

गिरफ्तार करने वाली पुलिस पार्टी का नाम-

1- थाना प्रभारी श्री नरेन्द्र भडाना थाना बडगांव जनपद सहारनपुर।

2- उ0नि0 मौ0 कामिल थाना बडगांव जनपद सहारनपुर।

3- कां0 64 रिषभ कुमार थाना बडगांव जनपद सहारनपुर।

दिनांक:21.07.2026

-प्रेस नोट-

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक जनपद सहारनपुर उत्तर प्रदेश

थाना चिलकाना, पुलिस द्वारा हत्या के प्रयास के मुकदमें में वांछित अभियुक्त गिरफ्तार, अभियुक्त की निशादेही पर घटना मे प्रयुक्त एक उस्तरा बरामद

घटना का विवरणः- अवगत कराना है कि दिनाँक 20.07.2026 को वादी श्री पुष्पेन्द्र पुत्र रामप्रसाद निवासी ग्राम रघुनाथपुर उर्फ छोटी पठेड की लिखित तहरीर बाबत अभियुक्तगण द्वारा वादी के भाई कल्लू के साथ गाली गलौच कर मारपीट करना व जान से मारने की नीयत से उस्तरे से गले पर वार कर घायल कर देने के सम्बन्ध मे थाना चिलकाना पर मु0अ0सं0 247/26 धारा 109(1),115(2), 352,351(3) बीएनएस का पंजीकृत किया गया था।

पुलिस कार्यवाहीः- वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, सहारनपुर द्वारा हत्या की घटना का संज्ञान लेते हुए अभियुक्तो की शीघ्र गिरफ्तारी हेतु आदेश-निर्देश दिये गये। आदेश के क्रम मे पुलिस अधीक्षक नगर एवं क्षेत्राधिकारी सदर के निकट पर्यवेक्षण में थाना प्रभारी श्री विनोद कुमार के कुशल नेतृत्व मे दिनाँक 20.07.2026 को मुखबिर की सूचना पर थाना चिलकाना पुलिस द्वारा मुकदमा उपरोक्त में त्वरित कार्यवाही करते हुए हत्या के प्रयास के मुकमदें में **वांछित अभियुक्त अनुज पुत्र सरदारा निवासी ग्राम रघुनाथपुर (छोटी पठेड) थाना चिलकाना जिला सहारनपुर** को साइफन पुलिया बुड्ढाखेडा जाने वाले रास्ते से गिरफ्तार किया गया। अभियुक्त की निशादेही पर घटना मे प्रयुक्त उस्तरा बरामद किया गया। गिरफ्तार अभियुक्त के विरूद्ध विधिक कार्यवाही कर समय से माननीय न्यायालय के समक्ष पेश किया जा रहा है।

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम पता:-

अनुज पुत्र सरदारा निवासी ग्राम रघुनाथपुर (छोटी पठेड) थाना चिलकाना जिला सहारनपुर

बरामदगी का विवरण

घटना मे प्रयुक्त एक उस्तरा

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम:

1- उ0नि0 श्री रवि कुमार थाना चिलकाना जनपद सहारनपुर
2- है0का0 157 सन्दीप कुमार थाना चिलकाना जनपद सहारनपुर
3- का0 1870 पुनित कुमार थाना चिलकाना जनपद सहारनपुर
4- का0 613 धीरज कुमार थाना चिलकाना जनपद सहारनपुर

दिनांक: 21.07.2026

-प्रेस नोट-

कार्यालय वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक जनपद सहारनपुर उत्तर प्रदेश

थाना नकुड़ पुलिस टीम द्वारा 01 एनबीडब्लू वारण्टी अभियुक्त को किया गया गिरफ्तार

अवगत कराना है कि वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, सहारनपुर के निर्देशन में अपराध की रोकथाम व वांछित/वारण्टी अपराधियों की गिरफ्तारी जनपदीय पुलिस द्वारा लगातार संघन चैकिंग की जा रही है। इसी क्रम में पुलिस अधीक्षक ग्रामीण एवं क्षेत्राधिकारी नकुड़ के निकट पर्यवेक्षण मे तथा प्रभारी निरीक्षक नकुड़ के कुशल नेतृत्व मे आज दिनांक 21.07.2026 को मुखबिर की सूचना पर थाना नकुड़ पुलिस टीम द्वारा ***01 वारण्टी अभियुक्त अहसान पुत्र मेहन्दी हसन निवासी ग्राम टिडौली थाना नकुड जिला सहारनपुर*** *को संबंधित वाद सं0 3543/25 धारा 354 भादवि (मा0 न्यायालय न्यायिक मजिस्ट्रेट सहारनपुर) में ग्राम टिडौली से गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार अभियुक्त के विरुद्ध अन्य आवश्यक विधिक कार्यवाही करते हुए समय से माननीय न्यायालय के समक्ष पेश किया जा रहा है।*

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पताः-

अहसान पुत्र मेहन्दी हसन निवासी ग्राम टिडौली थाना नकुड जिला सहारनपुर

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीमः-

1. *प्रभारी निरीक्षक श्री देवेश शर्मा थाना नकुड जनपद सहारनपुर,*
2. *उ0नि0 श्री रनवीर शर्मा थाना नकुड जनपद सहारनपुर,*
3. *है0का0 892 अजय राठी थाना नकुड जनपद सहारनपुर,*
4. *है0का0 650 वरणकार थाना नकुड जनपद सहारनपुर,*
5. *का0 1259 विनीत तोमर थाना नकुड जनपद सहारनपुर,*

दिनांक 21.07.2026

-प्रेस नोट-

"ऑपरेशन सवेरा"

"नशे के अंधकार से जीवन के उजाले की ओर"

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक जनपद सहारनपुर उत्तर प्रदेश

थाना मण्डी पुलिस द्वारा मादक पदार्थों की तस्करी करने वाला 01 शातिर नशा तस्कर अभियुक्त गिरफ्तार, कब्जे से 110 ग्राम अवैध चरस बरामद

अवगत कराना है कि श्रीमान पुलिस उपमहानिरीक्षक, सहारनपुर परिक्षेत्र, सहारनपुर द्वारा मादक पदार्थों/नशे के अवैध कारोबार, प्रतिबंन्धित दवाओं की तस्करी/बिक्री पर प्रभावी रोकथाम के लिए ठोस एवं समन्वित कार्यवाही हेतु परिक्षेत्र सहारनपुर के तीनो जनपदो में "ऑपरेशन सवेरा" – "नशे के अंधकार से जीवन के उजाले की ओर" अभियान चलाया जा रहा है।

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, सहारनपुर के निर्देशन मे नशा तस्करी/बिक्री की रोकथाम व नशे के कारोबार में लिप्त अपराधियो की गिरफ्तारी हेतु जनपदीय पुलिस द्वारा लगातार संघन चैकिंग की जा रही है। इसी क्रम में पुलिस अधीक्षक नगर एवं क्षेत्राधिकारी नगर प्रथम के निकट पर्यवेक्षण मे तथा प्रभारी निरीक्षक श्री सतपाल सिंह भाटी के कुशल नेतृत्व में आज दिनांक 21.07.2026 को थाना मण्डी पुलिस द्वारा चेकिंग व गश्त के दौरान ***01 शातिर नशा तस्कर अभियुक्त सफीक उर्फ डिल्लू पुत्र इलियास निवासी सिराज कॉलोनी थाना मंडी जनपद सहारनपुर*** *को अमन पैलेस के सामने खाली प्लाट से गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार अभियुक्त के कब्जे से 110 ग्राम नाजायज बरामद। गिरफ्तारी व बरामदगी के आधार पर अभियुक्त के विरूद्ध थाना मण्डी पर* ***मु0अ0सं0 366/2026 धारा 8/20 एनडीपीएस एक्ट*** *के पंजीकृत किया गया। अभियुक्त उपरोक्त द्वारा मादक पदार्थों के अवैध कारोबार के संबंध में FORWARD AND BACKWARD लिंको की जाँच की जा रही है। गिरफ्तार अभियुक्त के विरूद्ध विधिक कार्यवाही कर समय से माननीय न्यायालय के समक्ष पेश किया जा रहा है।*

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पताः-

सफीक उर्फ डिल्लू पुत्र इलियास निवासी सिराज कॉलोनी थाना मंडी जनपद सहारनपुर

बरामदगी का विवरण-

- *कुल 110 ग्राम अवैध चरस*

गिरफ्तार अभियुक्त सफीक उर्फ डिल्लू उपरोक्त का आपराधिक इतिहासः-

1. *मु0अ0सं0- 365/2016 धारा 13 सार्वजनिक जुआ अधि0 थाना मण्डी जनपद सहारनपुर*
2. *मु0अ0सं0- 491/2016 धारा 13 सार्वजनिक जुआ अधि0 थाना मण्डी जनपद सहारनपुर*
3. *मु0अ0सं0- 366/2026 धारा 8/20 एनडीपीएस एक्ट थाना मण्डी जनपद सहारनपुर।*

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम-

1. *प्रभारी निरीक्षक श्री सतपाल सिंह भाटी थाना मण्डी जनपद सहारनपुर*
2. *उ0नि0 श्री राहुल शर्मा थाना मण्डी जनपद सहारनपुर*
3. *है0का0 424 गौरव त्यागी थाना मण्डी जनपद सहारनपुर*
4. *रि0का0 1234 शोभित कुमार थाना मण्डी जनपद सहारनपुर*

दिनांकः **21.07.2026**

-प्रेस नोट-

ऑपरेशन सवेरा

"नशे के अंधकार से जीवन के उजाले की ओर"

सहारनपुर पुलिस की नशा तस्करों के विरूद्ध कडी कार्यवाही

थाना बेहट पुलिस का मादक पदार्थों की तस्करी पर करारा प्रहार — 01 शातिर नशा तस्कर अभियुक्त गिरफ्तार, अभियुक्त के कब्जे से 3.074 किलोग्राम अवैध चरस व 01 मोटरसाइकिल बरामद

*अवगत कराना है कि श्रीमान पुलिस उपमहानिरीक्षक, सहारनपुर परिक्षेत्र, सहारनपुर द्वारा मादक पदार्थों / नशे के अवैध कारोबार, प्रतिबंन्धित दवाओं की तस्करी / बिक्री पर प्रभावी रोकथाम के लिए ठोस एवं समन्वित कार्यवाही हेतु परिक्षेत्र सहारनपुर के तीनो जनपदो में **"ऑपरेशन सवेरा"** – "नशे के अंधकार से जीवन के उजाले की ओर" अभियान चलाया जा रहा है।*

*इसी क्रम में वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, सहारनपुर के निर्देशन मे नशीलें पदार्थों की तस्करी की रोकथाम व नशे के कारोबार मे शामिल अपराधियों की गिरफ्तारी हेतु चलाये जा रहे अभियान **"ऑपरेशन सवेरा""** के अनुपालन में पुलिस अधीक्षक ग्रामीण एवं क्षेत्राधिकारी बेहट के निकट पर्यवेक्षण मे प्रभारी निरीक्षक श्री जितेन्द्र सिंह दीखित के कुशल नेतृत्व में आज दिनांक 21.07.2026 को मुखबिर की सूचना पर थाना बेहट पुलिस टीम द्वारा चैकिंग के दौरान **01 नशा तस्कर अभियुक्त इस्तखार पुत्र दिलशाद निवासी ग्राम बाबैल बुजुर्ग थाना बेहट जनपद सहारनपुर** को ग्राम सहारनपुर रोड नहर मलकपुर कट के पास से गिरफ्तार किया गया। अभियुक्त के कब्जे से एक मोटरसाईकिल रजि0 नं0 UP11BL7532 व 3.074 किलोग्राम अवैध चरस बरामद हुई। गिरफ्तारी व बरामदगी के आधार पर थाना बेहट पर मु0अ0सं0 303/2026 धारा 8/20/60 एनडीपीएस एक्ट पंजीकृत किया गया है। अभियुक्त द्वारा मादक पदार्थों के अवैध कारोबार के संबंध में FORWARD AND BACKWARD लिंको की जाँच की जा रही है। गिरफ्तार अभियुक्त के विरूद्ध विधिक कार्यवाही कर समय से माननीय न्यायालय के समक्ष पेश किया जा रहा है।*

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम पताः-

इस्तखार पुत्र दिलशाद निवासी ग्राम बाबैल बुजुर्ग थाना बेहट जनपद सहारनपुर

बरामदगी का विवरण-

- *3.074 किलो ग्राम अवैध चरस*
- *घटना में प्रयुक्त मो0सा0 रजि0 नं0 UP11BL7532*

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीमः-

1. *उ0नि0 श्री विकास कुमार थाना बेहट जनपद सहारनपुर*
2. *का0 2164 जसवन्त सिंह थाना बेहट जनपद सहारनपुर*
3. *का0 2183 संजू सेम थाना बेहट जनपद सहारनपुर*

दिनांकः 21.07.2026

-प्रेस नोट-

ऑपरेशन सवेरा

“नशे के अंधकार से जीवन के उजाले की ओर”

सहारनपुर पुलिस की नशा तस्करों के विरूद्ध कडी कार्यवाही

थाना बेहट पुलिस का मादक पदार्थों की तस्करी पर करारा प्रहार — 01 नशा तस्कर अभियुक्ता गिरफ्तार, अभियुक्ता के कब्जे से 80.00 ग्राम अवैध चरस व 32060 रूपये बरामद

*अवगत कराना है कि श्रीमान पुलिस उपमहानिरीक्षक, सहारनपुर परिक्षेत्र, सहारनपुर द्वारा मादक पदार्थों / नशे के अवैध कारोबार, प्रतिबंन्धित दवाओं की तस्करी / बिक्री पर प्रभावी रोकथाम के लिए ठोस एवं समन्वित कार्यवाही हेतु परिक्षेत्र सहारनपुर के तीनो जनपदो में **“ऑपरेशन सवेरा”** – “नशे के अंधकार से जीवन के उजाले की ओर” अभियान चलाया जा रहा है।*

*इसी क्रम में वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, सहारनपुर के निर्देशन मे नशीलें पदार्थों की तस्करी की रोकथाम व नशे के कारोबार मे शामिल अपराधियों की गिरफ्तारी हेतु चलाये जा रहे अभियान **“ऑपरेशन सवेरा””** के अनुपालन में पुलिस अधीक्षक ग्रामीण एवं क्षेत्राधिकारी बेहट के निकट पर्यवेक्षण मे प्रभारी निरीक्षक श्री जितेन्द्र सिंह दीखित के कुशल नेतृत्व में आज दिनांक 21.07.2026 को मुखबिर की सूचना पर थाना बेहट पुलिस टीम द्वारा चैकिंग के दौरान **01 नशा तस्कर महिला अभियुक्ता आसिया पत्नी जमशैद निवास ग्राम संसारपुर खिडका भटकव्वा बिजली घर थाना बेहट जिला सहारनपुर** को ग्राम खिडका भटकव्वा निकट बिजली घर के पास से गिरफ्तार किया गया। अभियुक्ता के कब्जे से 80 ग्राम अवैध चरस व 32060/- रूपये नकद बरामद हुए। गिरफ्तारी व बरामदगी के आधार पर थाना बेहट पर मु0अ0सं0 302/2026 धारा 8/20 एनडीपीएस एक्ट पंजीकृत किया गया है। अभियुक्ता द्वारा मादक पदार्थों के अवैध कारोबार के संबंध में FORWARD AND BACKWARD लिंको की जाँच की जा रही है। गिरफ्तार अभियुक्त के विरूद्ध विधिक कार्यवाही कर समय से माननीय न्यायालय के समक्ष पेश किया जा रहा है।*

गिरफ्तार अभियुक्ता का नाम पताः-

आसिया पत्नी जमशैद निवास ग्राम संसारपुर खिडका भटकव्वा बिजली घर थाना बेहट जिला सहारनपुर

बरामदगी का विवरण-

- *80 ग्राम अवैध चरस*
- *32060 रूपये*

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीमः-

1. *उ0नि0 श्री विकास कुमार थाना बेहट जनपद सहारनपुर*
2. *का0 2164 जसवन्त सिंह थाना बेहट जनपद सहारनपुर*
3. *म0का0 917 मनिता थाना बेहट जनपद सहारनपुर*

दिनांक- 21.07.2026

-प्रेस नोट-

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक जनपद सहारनपुर उत्तर प्रदेश

थाना कोतवाली नगर पुलिस द्वारा कानून एवं शान्ति व्यवस्था भंग की आशंका के दृष्टिगत 05 अभियुक्तगण गिरफ्तार

अवगत कराना है कि वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, सहारनपुर के निर्देशन में अपराध की रोकथाम व कानून एवं शान्ति व्यवस्था बनाये रखने के दृष्टिगत जनपदीय पुलिस द्वारा लगातार संघन चैकिंग अभियान चलाया जा रहा है। इसी क्रम में पुलिस अधीक्षक नगर व क्षेत्राधिकारी नगर प्रथम के निकट पर्यवेक्षण मे तथा प्रभारी निरीक्षक कोतवाली नगर श्री प्रमोद कुमार सिंह के कुशल नेतृत्व में आज दिनांक 21.07.2026 को थाना कोतवाली नगर पुलिस द्वारा चैकिंग व गश्त के दौरान ***05 अभियुक्तगण प्रथम पक्ष के 1. समीम अहमद पुत्र अमीर हसन निवासी सकुन नगर सितारा मस्जिद के पास मानकमऊ थाना कु0शेर सहारनपुर व 2. नीटू पुत्र सुलेख चन्द्र निवासी हलालपुर थाना को0 देहात सहारनपुर*** *आपस में लडाई झगडा कर आमदा फसाद हो रहे थे* ***तथा अभियुक्त 3.रोहित कश्यप पुत्र रविन्द्र निवासी हिम्मतनगर पेपर मिल के पास थाना सदर बाजार जनपद सहारनपुर, 4. विशाल पुत्र शिवकुमार निवासी एमपीएस की पुलिया, प्रकाश लोक कालोनी थाना सदर बाजार सहारनपुर व 5.अभिषेक पुत्र शेर सिंह निवासी हिम्मतनगर पेपर मील के पास थाना सदर बाजार जनपद सहारनपुर*** *जो वादी मुकदमा के साथ गाली गलौच आमदा फसादा हो रहे थे, जिस कारण उपरोक्त अभियुक्तगण को अंदर इलाका थाना क्षेत्र से कानून एवं शान्ति व्यवस्था भंग की आशंका के दृष्टिगत* **नवाबगंज चौक** *से गिरफ्तार किया गया। उक्त अभियुक्तगण के विरूद्ध आवश्यक विधिक कार्यवाही करते हुए समय से मा0 न्यायालय के समक्ष पेश किया जा रहा है।*

गिरफ्तार अभियुक्तगण का नाम व पताः-

1. समीम अहमद पुत्र अमीर हसन निवासी सकुन नगर सितारा मस्जिद के पास मानकमऊ थाना कु0शेर सहारनपुर
2. नीटू पुत्र सुलेख चन्द्र निवासी हलालपुर थाना को0 देहात सहारनपुर
3. रोहित कश्यप पुत्र रविन्द्र निवासी हिम्मतनगर पेपर मिल के पास थाना सदर बाजार जनपद सहारनपुर
4. विशाल पुत्र शिवकुमार निवासी एमपीएस की पुलिया, प्रकाश लोक कालोनी थाना सदर बाजार सहारनपुर
5. अभिषेक पुत्र शेर सिंह निवासी हिम्मतनगर पेपर मील के पास थाना सदर बाजार जनपद सहारनपुर

गिरफ्तारी करने वाली पुलिस टीमः-

1. *उ0नि0 श्री अरूण कुमार थाना कोतवाली नगर जनपद सहारनपुर।*
2. *का0 1468 धर्मेन्द्र राणा थाना कोतवाली नगर जनपद सहारनपुर।*
3. *रि0का0 1295 विजय थाना कोतवाली नगर जनपद सहारनपुर।*
4. *रि0का0 1280 मनोज कुमार थाना कोतवाली नगर जनपद सहारनपुर।*
5. *रि0का0 1338 हर्षित कश्यप थाना कोतवाली नगर जनपद सहारनपुर।*

दिनांक 21.07.2026

-प्रेस नोट-

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक जनपद सहारनपुर उत्तर प्रदेश

थाना देवबन्द, सहारनपुर पुलिस द्वारा 01 वारण्टी अभियुक्त गिरफ्तार

*अवगत कराना है कि वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, सहारनपुर के निर्देशन में अपराध की रोकथाम व वांछित/वारण्टी अपराधियो की गिरफ्तारी हेतु जनपदीय पुलिस द्वारा लगातार अभियान चलाकर प्रभावी कार्यवाही की जा रही है । इसी क्रम में पुलिस अधीक्षक ग्रामीण एवं क्षेत्राधिकारी देवबन्द के निकट पर्यवेक्षण में तथा प्रभारी निरीक्षक श्री कपिल देव के कुशल नेतृत्व में आज दिनांक 21.07.2026 को थाना देवबन्द पुलिस द्वारा चैकिग व दबिश के दौरान **01 वारण्टी अभियुक्त मुकेश पुत्र जसवीर निवासी मान सिह माजरा रणखण्डी थाना देवबन्द जनपद सहारनपुर** को सम्बन्धित वाद स0-1636/03 व मु0अ0स0 442/97 धारा 25 आर्म्स एक्ट में रणखण्डी से गिरफ्तार किया गया । गिरफ्तार वारण्टी अभियुक्त के विरूद्ध अन्य आवश्यक विधिक कार्यवाही करते हुए समय से मा0 न्यायालय के समक्ष पेश किया जा रहा है ।*

गिरफ्तार वारन्टी अभियुक्त का नाम व पता –

मुकेश पुत्र जसवीर निवासी मान सिह माजरा रणखण्डी थाना देवबन्द जनपद सहारनपुर

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम –

1- उ0नि0 श्री दीपक कुमार थाना देवबन्द जनपद सहारनपुर ।

2- है0का0 44 शैलेन्द्र कुमार थाना देवबन्द जनपद सहारनपुर ।

दिनांक: 21.07.2026

-प्रेस नोट-

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक जनपद सहारनपुर उत्तर प्रदेश

थाना रामपुर मनिहारान पुलिस द्वारा चोरी की घटनाओं का अनावरण करते हुए 02 शातिर चोर/अभियुक्त गिरफ्तार, अभियुक्तगण के कब्जे/निशानदेही पर कुल 8300/- रूपये नकद, 01 कार की स्टपनी, लोहे की सरिया व एक लाईटर बरामद

घटनाओं का विवरण:-

1. *दिनाँक 06.07.26 को वादी अहमद पुत्र इनाम अहमद निवासी मौ0 महल कस्बा व थाना रामपुर मनि0 सहानपुर की दाखिला तहरीर बावत अभि0 गुलबहार आदि द्वारा वादी की गाडी की स्टफनी व वादी के बक्शे का ताला तोडकर आभूषण चोरी कर लेने के सम्बन्ध मे थाना रामपुर मनि0 पर* **मु0अ0सं0 219/26 धारा 324(4)/305(a)/331(4) बीएनएस** *पंजीकृत कराया गया*
2. *दिनाँक 18.07.2026 को वादी श्री दुर्गेश गुप्ता पुत्र सुलेखचन्द गुप्ता निवासी मौ0 कायस्तान कस्बा व थाना रामपुर मनि0 जिला सहारनपुर की दाखिला तहरीर बावत अभि0 गुलबहार द्वारा वादी की दुकान से ताला तोडकर 4600 रुपये चोरी कर लेने के सम्बन्ध में थाना रामपुर मनि0 पर* **मु0अ0सं0 228/26 धारा 324(4)/305(a)/331(4) बीएनएस** *पंजीकृत कराया गया*

पुलिस कार्यवाही:-

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक,सहारनपुर के निर्देशन मे चोरी/नकबजनी आदि आपराधिक घटनाओं की रोकथाम व वांछित/वारण्टी अपराधियो की गिरफ्तारी हेतु जनपदीय पुलिस द्वारा लगातार संघन चेकिंग अभियान चलाया जा रहा है। इसी क्रम मे पुलिस अधीक्षक नगर एवं क्षेत्राधिकारी नकुड़ के निकट पर्यवेक्षण मे तथा प्रभारी निरीक्षक श्री उम्मेद कुमार के कुशल नेतृत्व मे आज दिनांक 21.07.2026 को मुखबिर की सूचना पर थाना रामपुर मनिहारान पुलिस द्वारा उपरोक्त मुकदमों में प्रभावी कार्यवाही करते हुए घटना में लिप्त **02 वांछित अभियुक्तगण 1. अभियुक्त गुलबहार पुत्र मुस्तफा निवासी मौ0 सराय कस्बा व थाना रामपुर मनिहारन जिला सहारनपुर व 2. आजम उर्फ टैक्सी पुत्र महबूब निवासी मौ0महल थाना रामपुर मनिहारन जिला सहारनपुर** *को कस्बा रामपुर कब्रिस्तान से गिरफ्तार किया गया। अभियुक्तगण के कब्जे/निशानदेही पर कुल 8300/- रूपये नकद व 01 अदद कार की स्टपनी, 01 अदद लोहे का सरिया व 01 लाईटर बरामद। गिरफ्तारी व बरामदगी के आधार पर उपरोक्त मुकदमों में धारा 317(2) बीएनएस की वृद्धि की गयी। गिरफ्तार अभियुक्तगण के विरूद्ध अन्य आवश्यक विधिक कार्यवाही करते हुए समय से मा0 न्यायालय के समक्ष पेश किया जा रहा है।*

पूछताछ का विवरण- *अभियुक्तगण ने पूछताछ पर बताया कि हम लोगों के पास कोई काम धंधा नही है और अपनी जरूरतों को पूरा करने के लिए छोटी मोटी चोरी कर लेते है और सामान को बेचकर अपनी नशे की जरूरतों को भी पूरा कर लेते है। चोरी किये गये सामान को राह चलते कबाडियों को बेच देते है। इससे हम लोगो की अच्छी कमाई हो जाती है।*

गिरफ्तार अभियुक्तगण का नाम व पता –

1. *गुलबहार पुत्र मुस्तफा निवासी मौ सराय कस्बा व थाना रामपुर मनिहारन जिला*
2. *आजम उर्फ टैक्सी पुत्र महबूब निवासी मौ0महल थाना रामपुर मनिहारन जिला सहारनपुर*

बरामदगी का विवरण

- *8300/- रूपये नकद*
- *01 कार की स्टपनी*
- *01 लोहे का सरिया*
- *01 लाईटर*

आपराधिक इतिहास अभियुक्त गुलबहार

1. *मु0अ0सं0-376/22 धारा 380/411/457 भा0द0वि0 थाना कुतुबशेर जनपद सहारनपुर*
2. *मु0अ0सं0-588/17 धारा 380/411 भा0द0वि0 थाना रामपुर मनि0 जनपद सहारनपुर*
3. *मु0अ0सं0-299/19 धारा 4/25 आर्मस एक्ट थाना रामपुर मनि0 जनपद सहारनपुर*
4. *मु0अ0सं0-156/22 धारा 398/401 भा0द0वि0 थाना रामपुर मनि0 जनपद सहारनपुर*
5. *मु0अ0सं0-157/22 धारा 3/25 आर्मस एक्ट थाना रामपुर मनि0 जनपद सहारनपुर*

आपराधिक इतिहास अभियुक्त आजम उर्फ टैक्सी

1. *मु0अ0सं0-324/22 धारा 60/63 आब0अधि0 थाना रामपुर मनि0 जनपद सहारनपुर*

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम –

1. *उ0नि0 श्री ललित कुमार थाना रामपुर मनिहारान सहारनपुर*
2. *हे0का0 570 योगेन्द्र थाना रामपुर मनिहारान सहारनपुर*
3. *का0 1069 अंकित कुमार थाना रामपुर मनिहारान सहारनपुर*
4. *रि0आ0 1910 रणवीर सिंह थाना रामपुर मनिहारान सहारनपुर*

-प्रेस नोट-

दिनांक: 21.07.2026

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक जनपद सहारनपुर उत्तर प्रदेश

थाना रामपुर मनिहारान पुलिस द्वारा चोरी की घटनाओं का अनावरण करते हुए 02 शातिर चोर/अभियुक्त गिरफ्तार, कब्जे/निशानदेही 01 प्लास्टिक के कट्टे मे जला हुआ तांबे का तार, 01 बड़ा बैटरा, 02 छोरी बैटरिया व घटना में प्रयुक्त स्पलेण्डर मोटरसाइकिल बिना नम्बर प्लेट बरामद

घटनाओं का विवरण:-

1. दिनाँक 20.06.26 को वादी श्री हर्ष पंवार पुत्र दीपक पंवार निवासी नयागांव थाना रामपुर मनि0 सहानपुर की दाखिला तहरीर बावत अज्ञात अभि0 द्वारा स्कूल से ओफिस विन्डो उखाडकर एक बडा बैटरा ईन्वर्टर व दूसरे कमरे से एलईडी व डीवीआर व स्कूल बस से दो छोटी बैट्री चोरी कर लेने के सम्बन्ध मे थाना रामपुर मनि0 पर मु0अ0सं0 209/26 धारा 305(a)/331(4) बी0एन0एस0 पंजीकृत कराया गया
2. दिनाँक 20.07.2026 को वादी श्री शिवकुमार पुत्र कृष्णपाल सिंह नि0 ग्राम पिलखनी थाना रामपुर मनि0 स0पुर की दाखिला तहरीर बावत ज्ञात चोर द्वारा वादी की टयूबवैल से करीब 05 मीटर केबल व स्टार्टर व 06 कट्टे DAP(खाद) व पडोसी पडोसी सतकुमार पुत्र सुखवीर व राजपाल पुत्र सेवाराम व जसबीर पुत्र रकम सिंह व रफल सिंह पुत्र बिशम्बर व सुन्दरलाल पुत्र तेलूराम की टयूबवैल के केबल भी चोरी कर ले जाने के सम्बन्ध मे में थाना रामपुर मनि0 पर मु0अ0सं0—0231/26 धारा-303(2) बी0एन0एस0 पंजीकृत कराया गया

पुलिस कार्यवाही:-

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक,सहारनपुर के निर्देशन मे चोरी/नकबजनी आदि आपराधिक घटनाओं की रोकथाम व वांछित/वारण्टी अपराधियो की गिरफ्तारी हेतु जनपदीय पुलिस द्वारा लगातार संघन चेकिंग अभियान चलाया जा रहा है। इसी क्रम मे पुलिस अधीक्षक नगर एवं क्षेत्राधिकारी नकुड़ के निकट पर्यवेक्षण मे तथा प्रभारी निरीक्षक श्री उम्मेद कुमार के कुशल नेतृत्व मे आज दिनांक 21.07.2026 को मुखबिर की सूचना पर थाना रामपुर मनिहारान पुलिस द्वारा उपरोक्त मुकदमों में प्रभावी कार्यवाही करते हुए घटना में लिप्त **02 वांछित अभियुक्तगण 1. नितिन पुत्र शिवकुमार निवासी ग्राम उमरी खुर्द थाना रामपुर मनिहारान जिला सहारनपुर व 2. सागर पंवार उर्फ सावन पुत्र सुरेन्द्र निवासी ग्राम पिलखनी थाना रामपुर मनिहारान जिला सहारनपुर** को चुन्हैटी अन्डरपास के पास से गिरफ्तार किया गया। अभियुक्तगण के कब्जे/निशानदेही पर **01 प्लस्टिक के कट्टे मे जला हुआ तांबे का तार, 01 बड़ा बैटरा, 02 छोरी बैटरिया व घटना में प्रयुक्त स्पलेण्डर मोटरसाइकिल बिना नम्बर प्लेट** बरामद । गिरफ्तारी व बरामदगी के आधार पर उपरोक्त मुकदमों में धारा 317(2) बीएनएस की वृद्धि की गयी। गिरफ्तार अभियुक्तगण के विरूद्ध अन्य आवश्यक विधिक कार्यवाही करते हुए समय से मा0 न्यायालय के समक्ष पेश किया जा रहा है।

गिरफ्तार अभियुक्तगण का नाम व पता –

1. नितिन पुत्र शिवकुमार निवासी ग्राम उमरी खुर्द थाना रामपुर मनिहारान जिला सहारनपुर
2. सागर पंवार उर्फ सावन पुत्र सुरेन्द्र निवासी ग्राम पिलखनी थाना रामपुर मनिहारान जिला सहारनपुर

बरामदगी का विवरण

01 प्लस्टिक के कट्टे मे जला हुआ तांबे का तार,

01 बड़ा बैटरा,

02 छोरी बैटरिया

01 स्पलेण्डर मोटरसाइकिल बिना नम्बर प्लेट (घटना में प्रयुक्त)

आपराधिक इतिहास अभियुक्त नितिन

1. मु0अ0सं0-06/23 धारा 414 भा0द0वि0 थाना फतेहपुर जनपद सहारनपुर
2. मु0अ0सं0-310/25 धारा 87 बीएनएस थाना रामपुर मनि0 जनपद सहारनपुर
3. मु0अ0सं0-551/25 धारा 115(2)/191(2)/351(2)/352/74 बीएनएस थाना रामपुर मनि0 जनपद सहारनपुर

आपराधिक इतिहास अभियुक्त सागर पंवार उर्फ सावन

1. *मु0अ0सं0-268/24 धारा 379/411 भा0द0वि0 थाना सदर बाजार जनपद सहारनपुर*
2. *मु0अ0सं0-285/24 धारा 379/411/420/465 भा0द0वि0 थाना सदर बाजार जनपद सहारनपुर*
3. *मु0अ0सं0-337/24 धारा 379/411 भा0द0वि0 थाना सदर बाजार जनपद सहारनपुर*
4. *मु0अ0सं0-399/24 धारा 303(2)/317(2) बीएनएस थाना सदर बाजार जनपद सहारनपुर*
5. *मु0अ0सं0-403/24 धारा 379/411 भा0द0वि0 थाना सदर बाजार जनपद सहारनपुर*
6. *मु0अ0सं0-404/24 धारा 303(2)/317(2)/318(4)/336(2) बीएनएस थाना सदर बाजार, सहारनपुर*
7. *मु0अ0सं0-407/24 धारा 317(5) बीएनएस थाना सदर बाजार जनपद सहारनपुर*
8. *मु0अ0सं0-755/24 धारा 2/3 गैंग0अधि0 थाना सदर बाजार जनपद सहारनपुर*

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम –

1. *प्रभारी निरीक्षक श्री उम्मेद कुमार थाना रामपुर मनिहारान सहारनपुर*
2. *उ0नि0 श्री राजकमल थाना रामपुर मनिहारान सहारनपुर*
3. *उ0नि0 श्री अरुण कुमार थाना रामपुर मनिहारान सहारनपुर*
4. *है0का0 1288 सुधीर कुमार थाना रामपुर मनिहारान सहारनपुर*
5. *रि0का0 1947 शिवकुमार थाना रामपुर मनिहारान सहारनपुर*
6. *रि0कां0 142 रोहित कुमार थाना रामपुर मनिहारान सहारनपुर*
7. *है0कां0 158 अमित कुमार थाना रामपुर मनिहारान सहारनपुर*

-प्रेस नोट-

दिनांक 21.07.2026

आगामी श्रावण मास कांवड़ यात्रा-2026 के सफल, सुरक्षित, शांतिपूर्ण एवं सुव्यवस्थित संचालन हेतु जिलाधिकारी सहारनपुर एवं वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, सहारनपुर द्वारा आई0एम0ए0 चिकित्सकों, पेट्रोल पम्प स्वामियों, व्यापार मण्डल पदाधिकारियों, कांवड़ संघ संचालकों, शिविर संचालकों एवं डी0जे0 संचालकों के साथ अलग-अलग 06 व्यापक/महत्वपूर्ण समन्वय गोष्ठिया आयोजित की गयी ।

आगामी श्रावण मास कांवड़ यात्रा-2026 को सुरक्षित, शांतिपूर्ण एवं सुव्यवस्थित ढंग से सम्पन्न कराने के उद्देश्य से आज दिनांक 21.07.2026 को रिजर्व पुलिस लाइन, सहारनपुर स्थित नवीन सभागार में जिलाधिकारी, सहारनपुर एवं वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, सहारनपुर की संयुक्त अध्यक्षता में विभिन्न हितधारकों के साथ क्रमवार महत्वपूर्ण 06 समन्वय गोष्ठियाँ का आयोजित की गयी।

*बैठकों **में इंडियन मेडिकल एसोसिएशन (आई.एम.ए.) के चिकित्सक, पेट्रोल पम्प स्वामी, व्यापार मण्डल के पदाधिकारी, कांवड़ संघों के प्रतिनिधि, शिविर संचालक, डीजे संचालक एवं निर्माता सहित सहारनपुर तथा पड़ोसी जनपदों एवं राज्यों के प्रतिनिधियों** ने सहभागिता की।*

गोष्ठियों में श्रद्धालुओं की सुरक्षा, निर्बाध यातायात, ईंधन एवं चिकित्सा सेवाओं की उपलब्धता, स्वच्छता, जनसुविधाओं, शिविरों की व्यवस्थाओं, विद्युत एवं अग्नि सुरक्षा, ध्वनि मानकों के अनुपालन तथा कानून-व्यवस्था को लेकर विस्तृत चर्चा करते हुए आवश्यक दिशा-निर्देश दिए गए।

पेट्रोल पम्प संचालकों को निर्बाध ईंधन आपूर्ति, अग्निशमन उपकरणों एवं सीसीटीवी को क्रियाशील रखने तथा सुरक्षा मानकों का पालन सुनिश्चित करने के निर्देश दिए गए। आई.एम.ए. के चिकित्सकों से यात्रा मार्गों पर प्रभावी चिकित्सा एवं आपातकालीन स्वास्थ्य सेवाएं उपलब्ध कराने तथा प्रशासन के साथ सतत समन्वय बनाए रखने का अनुरोध किया गया।

व्यापार मण्डल से आवश्यक वस्तुओं की सुचारु उपलब्धता, निर्धारित मूल्य पर बिक्री, स्वच्छता एवं यातायात व्यवस्था में सहयोग देने की अपील की गई। वहीं कांवड़ संघों, शिविर संचालकों एवं डीजे संचालकों को शासन के दिशा-निर्देशों, निर्धारित ध्वनि मानकों एवं सुरक्षा प्रोटोकॉल का पूर्ण पालन सुनिश्चित करने के निर्देश दिए गए।

जिलाधिकारी सहारनपुर एवं वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक ने कहा कि कांवड़ यात्रा आस्था, अनुशासन एवं सामाजिक समरसता का पर्व है। जनपद प्रशासन एवं पुलिस की सर्वोच्च प्राथमिकता प्रत्येक शिवभक्त को सुरक्षित, सुगम एवं व्यवस्थित वातावरण उपलब्ध कराना है। उन्होंने सभी संबंधित संस्थाओं एवं नागरिकों से प्रशासन का सहयोग करते हुए कांवड़ यात्रा-2026 को शांतिपूर्ण, सुरक्षित एवं सफल बनाने में सक्रिय सहभागिता निभाने की अपील की।

बैठकों में जनपद के समस्त संबंधित प्रशासनिक एवं पुलिस अधिकारी, विभागीय अधिकारी तथा विभिन्न संगठनों के प्रतिनिधि उपस्थित रहे ।

दिनांक 21.07.2026

-प्रेस नोट-

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, सहारनपुर के निर्देशन में सशक्त पैरवी के चलते माननीय न्यायालय अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश कक्ष संख्या-14 जनपद सहारनपुर द्वारा नाबालिग युवती के साथ छेडछाड के मुकदमें में अभियुक्त को 04 वर्ष का सश्रम कारावास व 20 हजार रूपये के अर्थदण्ड की सुनाई गई सजा –

अवगत कराना है कि दिनांक 13.01.2019 को वादिया की लिखित तहरीर बाबत विपक्षी कश्मीर उर्फ गुड्डू पुत्र पीतम सिंह निवासी ग्राम सिसौनी थाना बडगांव जनपद सहारनपुर द्वारा वादिया की नाबालिग पुत्री के साथ छेडछाड करने करने की सूचना पर मु0अ0स0- 14/2019 धारा-354,452,506 भादवि व 7/8 पोक्सो एक्ट थाना बडगांव जनपद सहारनपुर पर पंजीकृत कराया गया था । उपरोक्त अभियोग एसटी नं0-206/2019 पर माननीय न्यायालय अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश कक्ष संख्या -14 जनपद सहारनपुर में विचाराधीन रहा ।

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, सहारनपुर के निर्देशन में ***OPERATION CONVICTION*** *में चिन्हित मांनिटरिंग सैल द्वारा की गई सशक्त पैरवी एवं प्रयासो के चलते माननीय न्यायालय अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश कक्ष सं0-14 जनपद सहारनपुर द्वारा* ***आज दिनांक 21.07.2026 को अभियुक्त कश्मीर उर्फ गुड्डू पुत्र पीतम सिंह निवासी ग्राम सिसौनी थाना बडगांव जनपद सहारनपुर को मु0अ0स0- 14/2019 धारा-354,452,506 भादवि व 7/8 पोक्सो एक्ट में दोषी पाते हुए 04 वर्ष का सश्रम कारावास व 20 हजार रूपये के अर्थदण्ड से दण्डित*** *किया गया ।*

शासकीय अधिवक्ता- (डी0जी0सी0) श्रीमती शहजाद खान ।
विवेचक- उपनिरीक्षक श्री जयप्रकाश भास्कर ।
पैरोकार - का0 अंकित कुमार थाना बडगांव जनपद सहारनपुर ।